न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –136 / 2022
अनवान : –

1. दीन सलाम पुत्र सदीक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. असलम पुत्र सदीक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. हरिराम पुत्र भैराराम जाति हरिजन साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तह0 नोहर ।

–प्रतिवादीगण

3. जुलेखां पुत्री सदीक पत्नी रमजान जाति व्यापारी मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
4. राबिया पुत्री सदीक पत्नी आमीन खां जाति व्यापारी मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर हाल निवास तारानगर तह0 तारानगर जिला चुरू ।
5. खातुन पुत्री सदीक पत्नी सदीक जाति व्यापारी मुसलमान हाल निवासी नोहर तहसील नोहर ।
6. मरियम पुत्री सदीक पत्नी सफी मोहम्मद हाल निवास तारानगर तहसील तारानगर जिला चुरू
7. हुसना पुत्री सदीक पत्नी रफीक जाति मुसलमान निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चुरू

–तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रौही मौजा ब्रह्मणवासी तहसील नोहर खसरा नम्बर 45 की 50 बिघा 19 बिस्वा भूमि जिसके वजीदा पुत्र दीना जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे तथा यही बिनाय अर्जीदावा है।

रौही मौजा ब्रह्मणवासी तहसील नोहर हाल खसरा नम्बर 45 की 50 बिघा 19 बिस्वा साबिका खसरा नम्बर 21 मिं व 15 मिं व 22 मिं बने हुए है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा वजीदा पुत्र दीना की अर्जित एवं नोतोड करदा भूमि है तथा उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 45 मिं की 50 बिघा 19 बिस्वा वाके रौही मौजा ब्रह्मणवासी तहसील नोहर में से 34 बिघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण के दादा वजीदा पुत्र दीना ने ... पुत्र ... लिल कौम लखारा साकिन नोहर तहसील नोहर को बैय कर दी जिसको वादीगण स्वीकार करते है ... कोई क्लेम नही करते है मगर हाल खसरा नम्बर 45 मिं 16 बिघा बची भूमि का पहले वजीदा पुत्र दीना तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उसके फौत होने के पश्चात वादीगण का पिता सदीक पुत्र वजीदा खातेदार काश्तकार हुआ तथा उक्त भूमि सदीक पुत्र वजीदा के कब्जा काश्त में जीवन पर्यन्त रही है तथा सदीक पुत्र वजीदा के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि वादीगण व तरतबी प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त वादग्रस्त वजीदा पुत्र दीना की अर्जित भूमि होने के कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का पैदायशी हक व हिस्सा है तथा उक्त खसरा नम्बर 45 मिं की 16 बिघा भूमि के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 7 खातेदार काश्तकार है चूंकि उक्त भूमि अमला माल के राजस्व कर्मचारियों से साज कर कतई गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि अमला माल के कर्मचारियों को उक्त कार्यवाही वादीगण के दादा वजीदा की भूमि के बाबत करने की अधिकारिता नहीं थी। वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 45/1 की 4.0480 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज करवाली जिसको वादीगण कलमजन करवाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 7 को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार बहिस बराबर करवाने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 128 / 128 खसरा नम्बर 45/1 की 4. 0480 हैक्टेयर वाके रौही मौजा ब्राह्मणवासी तहसील नोहर पहले वादीगण के दादा वजीदा पुत्र दीना खातेदार काश्तकार था तथा उक्त भूमि पहले वादीगण के दादा के कब्जा काश्त में रही है तथा वादीगण के दादा के फौत होने के पश्चात वादीगण के पिता सदीक पुत्र वजीदा के कब्जा काश्त में रही है तथा उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 15मि, 21 मिं, 22 मिं का भाग रही है जिसको हाल खसरा नम्बर 45 मिं बने है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ने हाल खसरा नम्बर 45/1 की 4.0480 हैक्टेयर अपने नाम अन्य खसरा नम्बर के साथ गलत विधि विरूद्ध तरीके से अपने ने करवाने का कोई अधिकार नही था हतथा उसको उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई ज्मदंदबल त्पहीज ।बतनम नही होते है तथा उक्त भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 7 की पैतृक भूमि है जो प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अमला माल राजस्व कर्मचारियों ने अनुचित एवं गलत तरीके से दर्ज कर दी तथा उपराक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 7 के हक व हिस्सा की भूमि है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम कलमजन करवा अपने नाम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 7 बहिरूसा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी स... को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तरतीबी प्रतिवादी स0 3 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2010–2013 रोही मौजा ब्राह्मणवाली तीन प्रतियों में ईएक्सपी–1, खसरा गिरदावरी संवत 2028–2031 रोही मौजा ब्राह्मणवाली तीन प्रतियों में ईक्सपी–2, खसरा गिरदावरी संवत् 2031–2033 रोही मौजा ब्राह्मणवाली ईएक्सपी–3, खसरा गिरदावरी रोही मौजा ब्राह्मणवाली ईएक्सपी–4, मिसल बंदोबस्त रोही मौजा ब्राह्मणवाली संवत् 2029–2038 ईएक्सपी–5 मिसल बंदोबस्त रोही मौजा ब्राह्मणवाली संवत् 2029–2038 ईएक्सपी–6, पर्चा लगान ईएक्सपी–7, पर्चा खतौनी संवत् 2020 ईएक्सपी–8, खसरा गिरदावरी संवत् 2020 ईएक्सपी–9, मिसल बंदोबस्त ईएक्सपी–10, मिसल बन्दोबस्त संवत् 2029–2038 रोही मौजा ब्राह्मणवाली ईएक्सपी–11, मिलान क्षेत्रफल ईएक्सपी–12, खसरा गिरदावरी संवत 2042–2045 रोही मौजा ब्राह्मणवाली ईएक्सपी–13, खसरा गिरदावरी संवत् 2053–2055 ईएक्सपी–14, खसरा गिरदावरी रोही मौजा ब्राह्मणवाली संवत् 2038–40 ईएक्सपी–15, जमाबंदी संवत 2073–2076 रोही मौजा ब्राह्मणवाली ईक्सपी–16 प्रदर्शित करवाये। प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 128/128 की कुल 45/1 की 4.0480 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि कथन है कि उक्त भूमि के पूर्व में वादीगण के दादा वजीदा खातेदार काश्तकार थे एवं वादीगण के दादा ही उक्त भूमि पर काबिज थे एवं बाद में वादीगण के पिता व वर्तमान में वादीगण वाद भूमि पर काबिज है लेकिन प्रतिवादी स0 1 ने गलत तरीके से उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली इसलिए प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है एवं प्रतिवादी स0 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे कि अपने नाम उक्त भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज करवा सकते है। वादीगण द्वारा समस्त साक्ष्य भूप्रबन्ध विभाग से पूर्व के प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किये गये है। भू प्रबन्ध विभाग के पश्चात का ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे वादीगण का वाद भूमि पर कोई अधिकार साबित हो। वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी आधार पर कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –136/2022

अनवान : –

1. दीन सलाम पुत्र सदीक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. असलम पुत्र सदीक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. हरिराम पुत्र भैराराम जाति हरिजन साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तह0 नोहर ।

–प्रतिवादीगण

3. जुलेखां पुत्री सदीक पत्नी रमजान जाति व्यापारी मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर हाल निवास अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
4. राबिया पुत्री सदीक पत्नी आमीन खां जाति व्यापारी मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर हाल निवास तारानगर तह0 तारानगर जिला चुरू ।
5. खातुन पुत्री सदीक पत्नी सदीक जाति व्यापारी मुसलमान हाल निवासी नोहर तहसील नोहर ।
6. मरियम पुत्री सदीक पत्नी सफी मोहम्मद हाल निवास तारानगर तहसील तारानगर जिला चुरू
7. हुसना पुत्री सदीक पत्नी रफीक जाति मुसलमान निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चुरू

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 136 सन 2022 निर्णय दिनांक 06/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested